राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6188/2022
डॉ. अनुमेहा गुलाटी (कात्याल)

–अपीलार्थी

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान निदेशालय, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय हरिबख्श कांवटिया अस्पताल, जयपुर।
4. डॉ.अमरचन्द महावर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक्स), राजकीय हरिबख्श कावंटिया अस्पताल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.12.2022 की पालना में राजकीय हरिबख्श कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अन्तरिम आदेश दिनांक 06.12.2022 पारित कर अपीलार्थी का जिला चिकित्सालय किशनगढ, अजमेर में किया गया स्थानान्तरण स्थगित रखा था। यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 20.11.2023 पारित कर अपीलार्थी के वेतन के सम्बन्ध में यह आदेश दिया है कि अपील के अंतिम निर्णय के अध्याधीन बकाया एवं आगामी वेतन उप जिला चिकित्सालय, जायल, नागौर में उपलब्ध रिक्त पद से अपीलार्थी का वेतन आहरित किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी जयपुर जिले में कार्यरत है। ऐसे में जयपुर जिले में उपलब्ध रिक्त पद के बजाय नागौर जिले में उपलब्ध रिक्त पद से अपीलार्थी का वेतन आहरित करना उचित नहीं है।
2. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि वर्तमान में अपीलार्थी जयपुर जिले में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का वेतन

नागौर जिले से आहरित करना उचित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी का वेतन आहरण जयपुर जिले से ही किसी रिक्त पद से किया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग दो सप्ताह में निर्णय पारित करें। यह भी प्रकट हुआ है कि इस अपील में जो आलोच्य आदेश है, वह दिनांक 10.08.2022 को जारी हुआ था, जिसे पारित हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नये सीरे से स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। तब तक अंतरिम आदेश दिनांक 06.12.2022 प्रभावी रहेगा।

3. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)